

राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम
2. पद का नाम
3. विभाग, कार्यालय और अनुभाग
4. वेतन
5. मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या वर्तमान पद पर प्राप्त अन्य क्षतिपूर्ति भत्ता
6. आवेदित अवकाश का प्रकार और उसकी अवधि तथा दिनांक जिसमें उसको आवश्यकता है।
7. रविवार तथा छुट्टियां यदि कोई हो, उन्हें अवकाश के पहले/बाद में जोड़ने का प्रस्ताव हो
8. अवकाश के लिए आवेदन का कारण
9. गत अवकाश से लौटने का दिनांक तथा उक्त अवकाश का प्रकार तथा अवधि
10. (क) में उपार्जित/रूपान्तरित (कम्यूटेड) अवकाश के दौरान प्राप्त किया गया अवकाश वेतन और अर्द्धवेतन अवकाश जो उस दशा में, जब कि राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 93 के उपनियम (ग) के खण्ड (3) के नीचे दिये गये परन्तुक के प्रावधान उक्त अवकाश की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान सर्विस से मेरे सेवानिवृत्त होने की स्थिति में प्रयुक्त नहीं किये गये हो तो अनुमत नहीं होताकी अवधि में अनुमत वेतन की अन्तर राशि वापस अदा करनेका वचन देता हूँ।
(ख) मैं अवकाश अनोपार्जित जो कि उस दशा में जब कि राजस्थान सर्विस रूल्स नियम, 93 (घ) उक्त अवकाश की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान सर्विस से मेरे स्वेच्छानुसार सेवा निवृत्त होने की स्थिति में प्रयुक्त नहीं किया गया होता, अनुमत नहीं होता, की अवधि में प्राप्त किये गये अवकाश वेतन को वापिस भुगतान करने का वचन देता हूँ।
11. अवकाश काल में रहने का पता
12. नियन्त्रण अधिकारी की आज्ञा और/या सिफारिश

आवेदक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पद

अवकाश अनुमत होने सम्बन्धी पत्र

(राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखाकार द्वारा)

13. प्रमाणित किया जाता है कि नियमों के नियम
के अधीन दिनांक से तक
का अनुमत है।

(अवकाश की किस्म)

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)